पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस.)..

भेभाराम आयु 78 वर्ष करीब पुत्र स्व. खांगाराम जाति जाट निवासी ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान मो.नं 9660403024

.........वादी

बनाम

तहसीलदार भू अभिलेख अधिकारी राजस्थान सरकार, फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर

..........प्रतिवादी

सत्यमेव जयते

वाद बाबत नाम शुद्धिकरण अ.धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

Web Copy - Not Official

मुकद्दमा नं.....122..........................सन्...2017..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...........मेरे..

पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम कारंगा छोटा की भूमि खसरा नम्बर 18, 19, 22, 35 कुल किता 4 रकबा 13.5800 है0 में वादी का नाम ''भोमा'' के स्थान पर ''भेभाराम'' दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

व हाजिरी...श्री नोपतराम चावला एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री मिनजानिब मुद्दायलह

निज........– ....मुबलिग.................–......................बाबत.........................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.................–.........................फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक..का अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * फतेहपुर (सीकर) *

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....14......माह ......फरवरी..........सन् 2018 को जारी

दस्तखत.. उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

ओहदा..

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	3			—	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 122/2017

भेभाराम आयु 78 वर्ष करीब पुत्र स्व. खांगाराम जाति जाट निवासी ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान मो.नं 9660403024 ....वादी

बनाम

तहसीलदार भू–अभिलेख अधिकारी राजस्थान सरकार, फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर

..........प्रतिवादी

वाद बाबत नाम शुद्धिकरण अ.धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता
श्री नोपतराम चावला – वादी

निर्णय

दिनांक:–14.02.2018

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील फतेहपुर के ग्राम कारंगा छोटा में स्थित आराजी खसरा नंबर 18,19,22,35 कुल किता 4 क्षेत्रफल 13.5800 हैक्टर अवस्थित है जिसमें से वादी अपने हक हिस्से की आराजियात पर साधिकार काबिज काश्तकार है, जिन्हें वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

पिछले सप्ताह उक्त आराजीयात के राजस्व अभिलेख की आवश्यकता हुई तब विधिवत रुप से नकल आवेदन देकर नकल प्राप्त की गई तब प्रकट हुआ कि वादी का नाम राजस्व अधिकारियों ने भूलवंश गलती से "भोमा" अंकित कर दिया जो गलत है। वादी का सही व वास्तविक नाम भेभाराम है, जिसको शुद्ध कराने हेतु वादी ने राजस्व कर्मियों से निवेदन किया, किन्तु प्रक्रिया में समय लगने की संभावना एवं वादी को तत्काल अभिलेख की आवश्यकता होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ, तद हेतु वाद नियोजित किया जा रहा है।

वादी के सभी दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र ,राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि में सही नाम "भेभाराम" ही अंकित है जो सही है। विवादित आराजीयात की खातेदारी में नाम शुद्धिकरण किये जाने से किसी भी सह– खातेदार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं है इस लिए सह– खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। नाम संशोधन/शुद्धिकरण किया जाना हर दृष्टि से उचित व आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

वाद प्रस्तुती से पूर्व प्रतिवादी को दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, नोटिस में लगने वाने समय से वादी के वाद–दायरी का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा, र भी अनावश्यक जटिलताओं को टालने के लिए प्रतिवाद के विरुद्ध वाद प्रस्तुती की अनुपति हेतु माननीय न्यायालय से पृथक से धारा 80(2)सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।

वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जावे कि उक्त विवादित आराजीयात की खातेदारी में खातेदार ''भोमा'' के स्थान पर ''भेभाराम'' अंकन करते हुये शुद्धिकरण किये जावे तथा ''भोमा'' को डिलिट(हज्फ)किया जाकर ''भेभाराम'' अंकित किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी। प्रकरण में तहसीलदार, फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम भोमाराम पुत्र खागाराम के स्थान पर भेभाराम पुत्र खागाराम दर्ज किया जाना उचित है। अतः वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम कारंगा छोटा की भूमि खसरा नम्बर 18, 19, 22, 35 कुल किता 4 रकबा 13.5800 है0 में वादी का नाम ''भोमा'' के स्थान पर ''भेभाराम'' दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रेखा मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)